340

अत्यावश्यक / प्राथमिकता

संख्या- /बीस-4/2013-1(223)/2003

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
जेल परिसर सुद्धोवाला,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 30 जनवरी, 2013

विषय- गणतन्त्र दिवस, 2013 के सुअवसर पर उत्तराखण्ड स्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समय पूर्व रिहाई/परिहार।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) के उपलक्ष्य में प्रदेश में स्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दियों को, जो उत्तराखण्ड तथा अन्य राज्यों के कारागारों में सजा भोग रहे हैं और उन जेलों में उनका आचरण "अच्छा" हो तथा जिनकी समयपूर्व मुक्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार सक्षम हो, उनको निम्न आधार पर समयपूर्व मुक्ति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) 10 वर्ष की अवधि से अधिक सीमित अवधि के लिए दण्डित ऐसे 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सिद्धदोष पुरुष बन्दी, जिन्होंने गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) को अपनी सजा का 1/3 अपरिहार अथवा 7 वर्ष की अपरिहार सजा, इनमें से जो भी कम हो, भोग ली हो, को समय पूर्व मुक्त कर दिया जाय।

(ख) 10 वर्ष की अवधि से अधिक सीमित अवधि के लिए दण्डित ऐसी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की सिद्धदोष महिला बन्दी, जिन्होंने गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) को अपनी सजा का 1/3 अपरिहार अथवा 7 वर्ष अपरिहार सजा, इनमें से जो भी कम हो, भोग ली हो, को समय पूर्व मुक्त कर दिया जाय।

(ग) 10 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए दण्डित ऐसे 70 वर्षीय या उससे अधिक आयु के सिद्धदोष पुरूष बन्दी, जिन्होंने गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) को अपनी सजा का 1/3 अपरिहार सजा भोग ली हो, को समय पूर्व मुक्त कर दिया जाय।

(घ) 10 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए दण्डित ऐसी 65 वर्षीय या उससे अधिक आयु की सिद्धदोष महिला बन्दी, जिन्होंने गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) को अपनी सजा का 1/3 अपरिहार सजा भोग ली हो, को समय पूर्व मुक्त कर दिया जाय।

2/-

(ङ.) ऐसे सिद्धदोष बन्दियों को, जिन्हें आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, यदि वे– पूर्णतः अंधे हैं या गम्भीर बीमारी जैसे कैंसर से ग्रस्त हैं और यदि उनको जेल में निरूद्ध बनाए रखा गया तो, उनकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है, तो उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अन्धत्व या ऐसी बीमारियों के बारे में जॉच और चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् बिना शर्त उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाय।

(च) शेष बंदियों को निम्नानुसार परिहार स्वीकृत कर दिया जायः–

क्र0 सं0	बंदियों के प्रवर्ग	मंजूर किये गये राज्य परिहार।
1	2	3
1.	आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को छोड़कर 10 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को प्रस्तावित परिहार।	तीन मास
2.	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को प्रस्तावित परिहार।	दो मास
3.	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को प्रस्तावित परिहार।	एक मास
4.	2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को प्रस्तावित परिहार।	पंद्रह दिन
5.	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को प्रस्तावित परिहार।	पंद्रह दिन

2– इन आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश भी दिये जाते हैंः–

(क) जो बन्दी उपरोक्त प्रकार से मुक्त होने हैं, उनकी मुक्ति किसी अवधि के लिए रोके अथवा स्थगित किये जाने के जो आदेश इस शासनादेश के पूर्व जारी हुये हों, वह अब उनकी मुक्ति में बाधक नहीं होंगे।

(ख) यदि किसी बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भ्रम हो, तो उसको मुक्त करने से पूर्व शासन के आदेश प्राप्त कर लिए जाय।

(ग) जो बन्दी पैरोल/गृह अवकाश पर हों, यदि स्वीकृत अवधि के अन्तर्गत मुक्ति के पात्र हैं, उन्हें गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) के पश्चात् कारागार में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे बन्दी गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) से मुक्त मान लिए जायेंगे, बशर्ते कि बन्दी द्वारा कारागार अधीक्षक के समक्ष ₹20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत कर दे।

(घ) उपरोक्त बन्दियों को इस शर्त पर मुक्त किया जायेगा कि वह मुक्त किये जाने के पूर्व शान्ति बनाये जाने के लिए सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के समक्ष ₹20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करें।

इस सम्बन्ध में सूचना बन्दी के गृह जनपद के जिलाधिकारी को दी जाय।

3/–

(ड.) महानिरीक्षक कारागार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दशा में परीक्षणोपरान्त केवल पात्र बन्दी ही मुक्त किये जाय तथा लाभान्वित बन्दियों को गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) को मुक्त कर दिया जाय।

3– उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट परिहार का लाभ निम्नलिखित को स्वीकृत नहीं किया जायेगा:–

(1) ऐसे बंदी जो निम्नलिखित अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराये गये हों;

(क) जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का अधिनियम सं0 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं0–2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अधिकरण द्वारा किया गया हों,

(ख) जिसमें केन्द्र सरकार से किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोजन या विनाश या नुकसान अन्तर्वलित हों,

4– निम्नलिखित श्रेणी के बन्दी भी परिहार के पात्र नहीं होंगे:–

(क) जो गणतन्त्र दिवस, 2013 (26 जनवरी, 2013) को मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत जमानत पर जेल से बाहर हो।

(ख) जो बन्दी विदेशी नागरिक हों।

(ग) सैनिक अदालतों द्वारा दण्डित बन्दी।

(घ) विचाराधीन बन्दी/नजरबन्द बन्दी।

(ड.) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं0–31) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का अधिनियम सं0–15) के अधीन दण्डित बन्दी।

(च) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम सं0–19) की धारा 3 से 10 तक के अधीन दण्डित बन्दी।

(छ) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम सं0–20 की धारा 2 व 3 के अधीन दण्डित बन्दी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 131 में दण्डित बन्दी)।

(ज) समय–समय पर यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं0–2) एवं 1988 (1988 का अधिनियम सं0–19) के अधीन दण्डित बन्दी अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 167, 170, 171, 181, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 210, 216ए, 219, 302, 304, 304(ख), 307, 394, 395, 396, 398,,399, 400, 489ए से 489डी एवं अन्य किसी भी अपराध में आजीवन कारावास से दण्डित बन्दी।

(झ) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं0–104) के अधीन बन्दी।

(य) महिलाओं का शील भंग करने के लिए बल प्रयोग के अपराध में दण्डित बन्दी।

(र) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सं0– 61) के अधीन दण्डित बन्दी।

(ल) जहर खुरानी के अपराध में दण्डित बन्दी।

(व) ऐसे सिद्वदोष बन्दी जो अन्य रूप से केन्द्रीय अधिनियमों में उल्लिखित किये गये दण्ड से दण्डित हो।

4/–

5– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत परिहार की गणना करने के पश्चात सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई की जाय।

6– इन आदेशों की प्रति रेडियोग्राम द्वारा तुरन्त स्वीकार की जाय तथा मुक्त किये गये बन्दियों की सूची तत्काल शासन को प्रेषित की जाय।

7– उपरोक्त परिहार जेल नियमों के अन्तर्गत प्रदत परिहार व्यवस्था से अतिरिक्त अनुमन्य होगा एवं परिहार की सीमा, जो सजा की एक तिहाई है, अतिरिक्त गणना एवं लाभ के लिए अनुमन्य होगी।

भवदीय,

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–215 (1) / बीस–4 / 2013–1(223) / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रान्तों / केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, उधमसिंहनगर।
9. समस्त अधीक्षक, जिला कारागार / उप कारागार, उत्तराखण्ड।
10. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।